



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-31.07.2025

प्रेस नोट

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना झिंझाना का टॉप-10 /हिस्ट्रीशीटर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद ।

आज दिनांक 31.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना झिंझाना का टॉप-10 /हिस्ट्रीशीटर अपराधी को अवैध हथियार व कारतूस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.धर्मेन्द्र पुत्र नवाब सिंह निवासी मौहल्ला खटीकान/छछरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली हाल पता संस्कृति लोक कालोनी थाना सदर जनपद देहरादून ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त एचएस न0 400ए

- 1.मु0अ0सं0 0483/2022 धारा 379 भादवि थाना कांधला जनपद शामली ।
- 2.मु0अ0सं0 288/22 धारा 506 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 3.मु0अ0सं0 487/15 धारा 392/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 4.मु0अ0सं0 177/25 धारा 64(1) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 5.मु0अ0सं0 21/23 धारा 379/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 6.मु0अ0सं0 20/23 धारा 379/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली ।
- 7.मु0अ0सं0 540/15 धारा 308/323 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 8.मु0अ0सं0 388/19 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 9.मु0अ0सं0 200/24 धारा 332/342/352/353 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 10.मु0अ0सं0 174/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 11.मु0अ0सं0 366/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 12.मु0अ0सं0 375/99 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 13.मु0अ0सं0 506/02 धारा 406 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 14.मु0अ0सं0 460/99 धारा 379/411 भादवि कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 15.मु0अ0सं0 588/12 धारा 364/302/201 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 16.मु0अ0सं0 615/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कांधला जनपद शामली ।
- 17.मु0अ0सं0 50/05 धारा 379 भादवि थाना आदर्शमंडी जनपद शामली ।
- 18.मु0अ0सं0 379/06 धारा 392/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 19.मु0अ0सं0 424/06 धारा 307 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 20.मु0अ0सं0 194/07 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली ।

- 21.मु0अ0सं0 571/07 धारा 3/4 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 22.मु0अ0सं0 380/07 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 23.मु0अ0सं0 427/07 धारा 394 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 24.मु0अ0सं0 578/07 धारा 307 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 25.मु0अ0सं0 162/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 26.मु0अ0सं0 378/08 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 27.मु0अ0सं0 221/10 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 28.मु0अ0सं0 405/14 धारा 379 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 29.मु0अ0सं0 565/15 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 30.मु0अ0सं0 368/01 धारा 457/380 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 31.मु0अ0सं0 36/03 धारा 387/341 भादवि थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली ।
- 32.मु0अ0सं0 61/03 धारा 364 भादवि थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली ।
- 33.मु0अ0सं0 201/04 धारा 307/504/506/452 भादवि थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली ।
- 34.मु0अ0सं0 43/04 धारा 379/411 भादवि थाना फुगाना जनपद मु0नगर ।
- 35.मु0अ0सं0 63/05 धारा 307 भादवि थाना फुगाना जनपद मु0नगर ।
- 36.मु0अ0सं0 488/11 धारा 305/34 भादवि थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 2.है0कां0 विकास कुमार थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 3.है0का0 योगेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामिल ।



थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुकन्दपुर खेड़ी में घर में घुसकर अवैध हथियार से फायरिंग कर युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

जात हो दिनांक 19.07.2025 को अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी श्री इरफान पुत्र जमालू निवासी ग्राम मुकन्दपुर खेड़ी थाना कैराना जनपद शामली के घर में घुसकर वादी के भाई अफसर पर अवैध हथियार से फायर कर जानलेवा हमला किया गया था । घटना के सम्बन्ध में वादी श्री इरफान उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 31.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुकन्दपुर खेड़ी में घर में घुसकर युवक पर अवैध हथियार से फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त वादिल पुत्र लियाकत निवासी ग्राम मुकन्दपुर खेड़ी थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.वादिल पुत्र लियाकत निवासी ग्राम मुकन्दपुर खेड़ी थाना कैराना जनपद शामली
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-
- 1.30नि0 सतीश प्रकाश थाना कैराना जनपद शामली ।
- 2.है0का0 आकाशदीप थाना कैराना जनपद शामली ।
- 3.है0का0 रिंकू थाना कैराना जनपद शामली ।



थाना आदर्शमंडी/कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 31.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना आदर्शमंडी/कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमंडी/कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

- 1.राजवीर पुत्र मंगलू गडरिया निवासी जनकपुरी थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर ।
- 2.नफीस पुत्र समेदीन निवासी मौहल्ला सुभाष नगर थाना कांधला जनपद शामली ।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

दिनांक 30.07.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.मुस्तकीम पुत्र जीवन निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.30नि0 श्री यूनस खान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 2.है0का0 योगेन्द्र कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 3.है0का0 विनोद कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 'ऑपरेशन क्लीन' अभियान के तहत विस्फोटक अधिनियम के 09 अभियोगों के मालो की विनिष्ठीकरण की कार्यवाही की गयी ।

आज दिनांक 31/07/2025 को माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना शामली के आदेश दिनांकित 15.04.2025, 26.06.2025 को थाना कैराना के वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक के विस्फोटक अधिनियम के 09 अभियोगों का माल मुताबित सूची के नष्ट किये जाने के आदेश के अनुपालन में श्रीमान जिलाधिकारी शामली व श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा माल विनिष्ठीकरण हेतु गठित टीम श्रीमान उपजिला मजिस्ट्रेट तहसील कैराना शामली के निर्देशन में नायब तहसीलदार श्री सतीश यादव तहसील कैराना, क्षेत्राधिकारी कैराना श्री श्याम सिंह, अभियोजन अधिकारी शामली श्री उतेश जौहरी, BDS प्रभारी जनपद सहारनपुर 30नि0 श्री उदयवीर सिंह, कार्यालय लिपिक ADJ/FTC कोर्ट कैराना श्री रवि मलिक व कार्यालय लिपिक CJM कोर्ट कैराना श्री हरिनन्दन सिंह व प्रभारी निरीक्षक कैराना श्री धर्मेन्द्र सिंह व हैड मोहरीर संजीत सिंह के समक्ष अंदर मालखाने से निकलवाकर विस्फोटक अधिनियम से सम्बन्धित मालो को प्राइवेट वाहन ट्रेक्टर ट्राली की मदद से यमुना घाट चौकी क्षेत्र यमुना ब्रीज पर जे.सी.बी.के माध्यम से गढढा खुदवाकर विनिष्ठीकरण की कार्यवाही फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराते हुए की गई ।

नष्ट हुए माल का विवरण निम्नवत है -

- (1)59 पेटी माचिस नुमा (02). 04 पेटी बडी तैयार शुदा पटाखे (3). 24 पेटी मिश्रित फुलजडी गोल्ड मौहर (4). अनार 05 कुंटल कच्चा माल (5). 20 पैकेट बोरी कार्टून व रोकट नटराज मार्का बान (6). चार बोरो में विभिन्न प्रकार के पटाखे (7).

एक कट्टे में करीब 40 कि०ग्रा० सफेद पाउडर काला पाउडर जो एक पन्नी के अंदर कट्टे में रखा है वजन करीब 01 कि०ग्रा०, सिल्वर पाउडर जो एक पन्नी पैक में कट्टे के अन्दर रखा है वजन करीब 02 कि०ग्रा० आदि (8). 15 पेपर व 10 पेटी पेपर पैकिंग व 250 खाली कार्टून (9). 04कट्टे (बैग) व एक काली पन्नी में काले रंग का पाउडर कुल 70 किलो (10). एक पन्नी में रेत कुल 9.2 किग्रा (11). एक कट्टे (बैग) में लाल रंग की प्लास्टिक की टोपली कुल 16 किग्रा, (12). 02 कट्टे गते की पाईप कच्चा माल कुल 27 किग्रा (13). 01 कट्टा कागज के सफेद छोटे छोटे टुकड़े कुल 2.3 किग्रा (14). एक कार्टून 30 पैकेट रैपर का जिस पर बर्थडे कैंडल लिखा है (15). एक पीला थैला जिसमें पैकिंग की पन्नी 1.6 किग्रा (16). एक सफेद कट्टे में तैयार माल बर्थडे कैंडल कुल 246 पीस (17). एक सफेद कट्टे में तैयार माल 356 कैंडल, (18). एक सफेद कट्टे में 08 खाली कट्टे व 02 बड़ी पन्नी, (19). एक सफेद कट्टे में चमकीले रैपर पन्नी व कागज के रैपर कुल 09 किग्रा (20). एक हरे थैले में 06 डायरी 07 स्टेपलार, एक सफेद टेप व एक पिन की डब्बी (21). एक कांटा तराजू (22). एक प्लास्टिक के डब्बे में फेविकोल सील सर्वे मोहर (23). एक कट्टे में 250 सुतली बम पटाखे व 37 बाक्स स्काट पटाखे, 07 बाक्स स्कोस्ट अनार ।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई 05-05 वर्ष के कारावास की सजा एवं 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया ।

वर्ष 2011 में थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण अतर सिंह पुत्र सुखवीर व अतरा पुत्र सुखवीर निवासीगण मौ० शाहविलायत थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा गैर इरादतन हत्या का प्रयास किया गया था । इसके संबंध में थाना थानाभवन पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इसी क्रम में आज दिनांक 31.07.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे 09 मु०नगर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 308 भादवि में 05-05 वर्ष का कारावास व धारा 323 भादवि में 06-06 माह का कारावास व धारा 352 भादवि में 02-02 माह का कारावास व कुल 20,000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है ।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अलग अलग 02 मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2022 में अभियुक्त विनोद पुत्र रायमल निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु०अ०सं० 60/2022 धारा- 352,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 31.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते मा० न्यायालय उठने तक की सजा व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

2.-वर्ष 2007 में अभियुक्त शफीक पुत्र रफीक निवासीकुरेशियान गंगेरू थाना कांधला शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु०अ०सं० 740/2007 धारा-3/5/8 गौवध निवारण अधि० पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 31.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामद:-

आज दिनांक 31.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.चैनराज पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम गागौर थाना झिंझाना जनपद शामली ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1-मु.अ.स.500/2015 धारा 307/504/506 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2-मु.अ.स.114/2022 धारा 406/411/420/465 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली ।

3-मु.अ.स.138/2022 धारा 379/411/465 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली ।

4-मु.अ.स.139/2022 धारा 3/25 A ACT थाना झिंझाना जनपद शामली ।

5-मु.अ.स.299/2020 धारा 3/25 A ACT थाना झिंझाना जनपद शामली ।

6-मु.अ.स.365/2025 धारा 60(1) EX ACT थाना झिंझाना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री राकेश कुमार चौकी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2-है0का0 नीटू भाटी चौकी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली ।

3-का0 गुलफाम चौकी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली ।



थाना कांधला पुलिस द्वारा सट्टा लगाते हुए 02 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से नगदी, सट्टा पर्चा व पैस बरामद:-

आज दिनांक 31.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर 02 जुआरी को सट्टा लगाते हुये नगदी 400/- रुपये एवं सट्टा पर्चा व पैस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.इस्तकार पुत्र जुम्मा निवासी मौहल्ला खेल कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली ।
- 2.रिजवान पुत्र शकील निवासी मौहल्ला खेल कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.नगदी 400/- रुपये ।
- 2.सट्टा पर्चा व पैस ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.30नि0 श्री 30नि0 ओंकारनाथ पाण्डेय थाना कांधला जनपद शामली ।
- 2.है0का0 रोशन सिंह थाना कांधला जनपद शामली ।
- 3.है0का0 अरविन्द कुमार थाना कांधला जनपद शामली ।
- 4.का0 सूर्य प्रताप थाना कांधला जनपद शामली



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने के मामले में वांछित पिकअप गाडी चालक गिरफ्तार ।

जात हो कि दिनांक 28.07.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत राजेश पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम दथैडा के द्वारा उसेक भाई मुकेश पुत्र नाथीराम व उसका साथी प्रवीन पुत्र सुरेश मोटर साइकिल से हरियाणा जा रहे थे, रास्ते में जिजौला पेट्रोल पम्प के पास मोटर साइकिल व पिकअप गाडी की आमने सामने की टक्कर से मोटर साइकिल सवार 02 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके सम्बन्ध में राजेश उपरोक्त की तहरीर पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देशित किया गया था ।

इसी क्रम में दिनांक 31.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछितो से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने के मामले में वांछित पिकअप गाडी चालक गिरफ्तार को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.अंकित कुमार पुत्र किरतपाल सिंह निवासी कसेरवाकला थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.30नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2.है0का0 आशीष कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।

